संo–59 /IV-श0वि0–08–206(सा0)/05 टी0सी0–।

प्रेषक,

सौरभ जैन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक–12 मार्च, 2008

विषय : नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष–2005–06 में स्वीकृत कार्यों की अवशेष धनराशि की चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में स्वीकृति एवं संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 684/V–श0वि–06–206(सा0)/05 टी0सी0–। दिनांक 25–3–2006 एवं शासनादेश संख्या 530/V–श0वि–06–206(सा0)/05 टी0सी0–। दिनांक 8–1–2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ के पत्र संख्या 1497 तथा 1498 दिनांक 11–1–2008 के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव का टी0ए0सी0 से तकनीकी परीक्षण कराये जाने के उपरान्त एवं प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 8–1–2008 के माध्यम से शासनादेश दिनांक 25–3–2006 द्वारा स्वीकृत कार्य क्र0सं0–13 (के0एम0ओ0यू0 बस स्टेशन से सिनेमा लाईन तक टाईल्स सडक व नाली निर्माण) को सी0सी0 सडक में परिवर्तन कर कार्य संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति रू0 33.19 लाख को पुनः संशोधित करते हुए रू0 63.96 लाख की लागत के आगणन की लागत अब रू0 47.97 लाख संस्तुत की गई है एवं इस प्रकार शासनादेश दिनांक 25–3–2006 की कुल प्रशासनिक स्वीकृति रू0 591.03 लाख को पुनःसंशोधित करते हुए अब रू0 605.81 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्व में कुल अवमुक्त रू0 280.19 लाख को कम करते हुए स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि रू. 325.62 लाख के सापेक्ष रू0 80.00 लाख (रूपये अस्सी लाख मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि रू0 80.00 लाख (रूपये अस्सी लाख मात्र) आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित नगर पालिका परिषद को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, जो शासनादेश की शर्ते पूर्ण करने पर कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करेंगे।
2. शासनादेश संख्या 684/V–श0वि–06–206(सा0)/05 टी0सी0–। दिनांक 25–3–2006 में उल्लिखित अन्य शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
4. सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
5. स्वीकृत धनराशि का इसी वित्तीय वर्ष में 31–3–2008 तक उपयोग करते हुए कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।

6. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

7. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

8. मुख्य सचिव महोदय, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2008 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

10. स्वीकृत कार्यों की न्यूनतम स्वीकृत निविदाओं के सापेक्ष हुई बचतों का विवरण उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

2- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05- नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0- 814/XXVII(2)/2008, दिनांक- 10 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सौरभ जैन)
अपर सचिव।

सं0-57 (1)/IV-श0वि0-08,तद्दिनांक। 12/03/08

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

9. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
11. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
12. आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
13. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
14. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
15. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
16. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
17. प्रशासक/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़।
18. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
19. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव।